सं. 42/15/2022-पी&पीडब्लू(डी)/4

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक:- 25 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वेतन आयोग आदि की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में संशोधित पेंशन से संराशीकृत पेंशन की कटौती।

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है।

2. इस प्रकार संराशीकृत पेंशन की राशि की कटौती उत्तरवर्ती मासिक पेंशनों से की जाती है। इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि ऐसे मामलों में पेंशन से कितनी राशि की कटौती की जाएगी जहां वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन होने पर पेंशन को संशोधित किया जाता है, आदि।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में, बाद में पेंशन का केवल वह हिस्सा/राशि जिसे मूल रूप से संराशीकृत किया गया था, संशोधित पेंशन से काटा जाएगा।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, यूपीएससी, इत्यादि मानक वितरण सूची के अनुसार